

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री राजु कुमार यादव पिता श्री प्रेम यादव निवासी ग्राम: होन्हे, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50 (रैयती) खाता सं. 19, 61, 12 & 01 के अधीन प्लॉट सं. 718(P), 754, 789, 725, 728, 717, 794, 485 एवं 337; कुल रकबा - 02.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

ऊपर उल्लेखित खाता सं. 61, प्लॉट न. 717 जिसका कुल रकबा 0.80 एकड़ है जिसमें से 0.40 एकड़ केवला सं. 13421 दिनांक 29.06.1970 के माध्यम से असवा क्वारी पति अशरफ़ी गोप के द्वारा लटन गंडु पिता देवनाथ गंडु से खरीदगी की गयी थी जिसका खतियानी रैयत बुधन गंडु, देवनाथ गंडु वी शिवनाथ गंडु पिता कंदन गंडु थे।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50; जिला :- चतरा, खाता सं. 19, 61, 12 & 01 के अधीन प्लॉट सं. 718(P), 754, 789, 725, 728, 717, 794, 485 एवं 337; कुल रकबा - 02.00 एकड़ रैयती भूमि, जिसे सी बी ए, 1957 आधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के तहत श्री राजु कुमार यादव पिता प्रेम यादव निवासी ग्राम: होन्हे, थाना: टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

विरेश कुमार
06/02/2021

